वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्याः-849/XVII-3/2011-07(37)/08

प्रेषक,

एम०एच० खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अरबी फारसी मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय के पत्रांक-8-5/2010-EE.19 दिनांक 23 मार्च, 2011, पत्रांक-8-6/2010-EE.19 दिनांक 23 मार्च, 2011 एवं 8-17/2009-EE.19 दिनांक 23 मार्च, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस0पी0क्यू0ई0एम0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु क्रमशः ₹ 68.04 लाख, ₹ 62.67 लाख एवं ₹ 58.15 लाख, कुल ₹ 188.86 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विषय के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से **₹ 54.59 लाख (₹ चौव्वन लाख उनसठ हजार मात्र)** एवं संलग्न बी0एम0-15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा **₹ 134.27 लाख (₹ एक सौ चौंतिस लाख सत्ताईस हजार मात्र)**, इस प्रकार कुल धनराशि **₹ 188.86 लाख (₹ एक सौ अठ्ठासी लाख छियासी हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, अन्य संगत नियमों के आलोक में नियमानुसार ही किया जायेगा।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति, यदि आवश्यक हो तो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
4. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अंतर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के **"आयोजनागत पक्ष"** के लेखाशीर्षक 2250–अन्य सामाजिक सेवायें, 800–अन्य व्यय, 05–अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (100%के0स0) के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के संलग्न प्रारूप बी0एम0–15 के कॉलम–5 के सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः–1221(P)/XXVII(3)/2011, दिनांक 29 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(एम०एच० खान)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 341(1)/XVII-3/2011-02(Budget)/10 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, मुस्लिम एजुकेशन मिशन, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर० के० चौहान)
अनु सचिव।